

वैवाहिक परिदृश्य की बदलती भूमिका का अध्ययन: आधुनिक भारत के विशेष संदर्भ में

बीरेन्द्र पाल

समाजशास्त्र विभाग

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

आधुनिक भारत में विवाह का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पारंपरिक भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संगम नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध भी समझा जाता था। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा का विस्तार, तकनीकी विकास और शहरीकरण के प्रभावों के कारण विवाह की परिभाषा, उद्देश्य और स्वरूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब विवाह केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं रह गया, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, भावनात्मक संतोष और आत्मविकास का एक माध्यम बन चुका है। अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सहजीवन, विवाह में देरी और विवाह से बचने जैसे रुझान तेजी से उभर रहे हैं। इस शोध पत्र में भारतीय विवाह के ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान स्थिति, बदलते सामाजिक मूल्यों और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन न केवल विवाह की संस्था को समझने में मददगार है, बल्कि समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का भी प्रतिबिंब है।

बीज शब्द

विवाह, आधुनिक भारत, सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सहजीवन, लैंगिक समानता, वैश्वीकरण, पारिवारिक संरचना।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में विवाह को एक बहुत पुरानी और पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता है। वैदिक काल से लेकर आज तक विवाह के लक्ष्य, परंपराएँ, सामाजिक महत्व और सांस्कृतिक

मूल्य परिवर्तित होते रहे हैं। पारंपरिक नजरिए से विवाह का प्राथमिक लक्ष्य संतानोत्पत्ति, परिवारिक परंपरा का संरक्षण और सामाजिक स्थिरता होता था। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का एक माध्यम माना गया था।

बीसवीं सदी के अंत में, विशेष रूप से 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण, मीडिया का प्रसार, वैश्विक संपर्क और शिक्षा में वृद्धि ने भारतीय समाज की वैवाहिक मान्यताओं पर प्रभाव डालना शुरू किया। महिलाओं की शिक्षा और कार्य में भागीदारी बढ़ने से विवाह संबंधों में समानता और साझेदारी की अवधारणा मजबूत हुई। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार पारंपरिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती बन गया।

शोध उद्देश्य

यह शोध पत्र भारतीय विवाह संस्था के विविध स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह का ऐतिहासिक संदर्भ और पारंपरिक आधारों का विश्लेषण करना है, ताकि यह जान सकें कि समाज ने इसे कैसे विकसित किया है। साथ ही, इस शोध का उद्देश्य आधुनिक भारत में विवाह की परिवर्तित परिभाषा और उद्देश्यों का अध्ययन करना है। इसमें विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, विवाह संस्था में हो रहे सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों की पहचान कर भविष्य में इसके संभावित स्वरूप और चुनौतियों पर विचार भी प्रमुख उद्देश्य है।

शोध विधि

इस अध्ययन में गुणात्मक दृष्टिकोण का चयन किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य विवाह के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को गहराई से समझना है। शोध के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। इसमें धार्मिक ग्रंथों, समाजशास्त्र से संबंधित साहित्य, विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों और सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, एनजीओ की रिपोर्टें और शोध पत्रिकाओं के माध्यम से आधुनिक विवाह की चुनौतियां और

स्वरूपों पर भी चर्चा की गई है। इन विभिन्न स्रोतों ने विवाह संस्था की ऐतिहासिक गहराई और समकालीन स्वरूप को उजागर किया है।

भारतीय विवाह का ऐतिहासिक परिदृश्य

यदि भारतीय समाज की किसी संस्था को मुख्य आधार मानें, तो वह विवाह है। विवाह दो व्यक्तियों का मात्र पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, जिसने भारतीय सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखा है। भारत में विवाह को प्राचीन काल से एक पवित्र संस्कार माना गया है। यह केवल शारीरिक और भौतिक संबंधों का माध्यम नहीं था, बल्कि इसे धर्म, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जोड़ा गया। समय के साथ, विवाह की प्रकृति और ढांचे में कई परिवर्तन आए हैं। वैदिक काल में विवाह स्वतंत्रता, धार्मिक प्रसंगों और स्त्रीपुरुष की समान भूमिका पर था, जबकि उत्तरवैदिक और मध्यकालीन युग में यह अधिकतर पितृसत्तात्मक और सामाजिक ढांचे से प्रभावित रहा। आधुनिक युग में सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानूनी हस्तक्षेपों ने विवाह के ढांचे को एक नया मोड़ दिया है, और स्वतंत्र भारत ने इसे समानता, स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत अधिकारों के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया है।

आधुनिक भारत में विवाह का बदलता स्वरूप

भारतीय समाज में विवाह हर समय एक प्रमुख संस्था रही है। यह केवल व्यक्तिगत जीवन की नींव नहीं है, बल्कि सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा भी है। विवाह के बिना परिवार का ख्याल नहीं किया जा सकता, साथ ही संस्कृति और समाज की स्थिरता भी चुनौती में पड़ जाएगी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विवाह को धर्म, नैतिक जिम्मेदारी और पितृसत्ता के साथ जोड़ा गया था, लेकिन समकालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी परिवर्तनों ने विवाह की परिभाषा और स्वरूप में बड़ा बदलाव किया है। आज विवाह केवल एक धार्मिक कर्म या पारिवारिक विचार नहीं रह गया, बल्कि यह व्यक्तिगत अधिकार, समानता और स्वतंत्रता से जुड़े एक सामाजिक अनुबंध के रूप में विकसित हो चुका है।

आधुनिक भारत में विवाह की संस्था पर शिक्षा और शहरीकरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। पहले विवाह परिवार की इच्छा और अपेक्षा पर निर्भर करते थे, जहाँ वर और कन्या की

सहमति को कमतर समझा जाता था। लेकिन शिक्षा और नौकरी के अवसरों ने युवाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र सोच की क्षमता दी है। अब युवा अपने साथी का चुनाव खुद करने लगे हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि विवाह अब जाति और धर्म की कठोर सीमाओं से बाहर निकलने लगा है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विवाहों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि सामाजिक स्तर पर अब भी कुछ प्रतिरोध है, परंतु न्यायपालिका और प्रशासन ऐसे विवाहों को सुरक्षा और वैधानिक मान्यता प्रदान कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि विवाह अब केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रह गया, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ रहा है।

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारतीय समाज में विवाह की संस्था को कानूनी रूप देने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है और विवाह को केवल एक धार्मिक विधि नहीं मानता, बल्कि इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में भी परिभाषित करता है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है—पुरुष के लिए 21 साल और महिला के लिए 18 साल। इसके अतिरिक्त, एकपत्नी प्रथा को अनिवार्य किया गया है और बहुविवाह को एक अपराध के रूप में स्थापित किया गया है।

2. विशेष विवाह अधिनियम, 1954

विशेष विवाह अधिनियम भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ है, क्योंकि इसने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे विवाह को धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक नागरिक अनुबंध के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या जाति के दो वयस्क अपनी आपसी सहमति से विवाह कर सकते हैं। इस कानून ने विवाह की पारंपरिक धारा को उजागर किया। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद रहा, जो जातीय या धार्मिक सीमाओं को पार कर अपने मनपसंद साथी के साथ शादी करने में इच्छुक थे।

3. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए 2006 में यह कानून लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पुरुष की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि इन आयु-सीमाओं से कम उम्र में शादी की जाती है तो उसे अवैध माना जाएगा। इस कानून में दोषियों के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, ताकि बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोका जा सके। हालाँकि यह कानूनी पहल महत्वपूर्ण रही है फिर भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह के मामले देखने को मिलते हैं।

4. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून

भारत के मुस्लिम समुदाय में विवाह को "निकाह" कहा जाता है, जिसे एक धार्मिक और सामाजिक समझौता माना जाता है। शरिया कानून के अनुसार एक पुरुष को अधिकतम चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है, बशर्ते कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। महिलाएँ भी तलाक का अधिकार रखती हैं, जिसे "खुल्ल" और "फस्ख" कहा जाता है। मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित प्रमुख विवाद "तलाक-ए-बिद्दत" या "ट्रिपल तलाक" रहा है। भारत सरकार ने 2019 में इसे समाप्त कर इसे अपराध के रूप में वर्गीकृत कर दिया। यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के लिए समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

5. तलाक और अलगाव के कानूनी सुधार

भारत में तलाक की प्रक्रिया पहले बेहद लंबी, जटिल और मानसिक रूप से परेशान करने वाली थी। लेकिन समय के साथ इसमें सुधार किए गए हैं। अब आपसी सहमति से तलाक लेना काफी आसान और तेज हो गया है। तलाक के बाद महिलाओं को भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है।

6. न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

- शफीनजहाँ बनाम अशोकन के.एम. (2018): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह का चयन व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसमें परिवार या समाज को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018): सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध के रूप में समाप्त करते हुए इसे सिर्फ तलाक का कारण माना। यह निर्णय विवाह संस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): इस मामले में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इस निर्णय ने विवाह और संबंधों की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नए आयाम प्रस्तुत किए।

7. कानूनी सुधारों का सामाजिक प्रभाव

इन कानूनी परिवर्तनों और न्यायालय के फैसलों ने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला है। अब विवाह एकतरफा फैसला नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों पक्षों की सहमति और समानता पर आधारित एक संस्था बन गई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें विवाह में बराबरी का स्थान मिल गया है।

8. शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रभाव

महिलाओं की शिक्षा ने विवाह के संबंध में सोच को बदल दिया है। उच्चतर शिक्षा ने उन्हें ज्ञानपूर्वक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। अब वे विवाह को केवल पारिवारिक या सामाजिक दबाव का विषय नहीं मानतीं, बल्कि अपने निर्णयों में अपनी इच्छाओं और शर्तों को प्राथमिकता देने लगी हैं।

इसी प्रकार, पुरुष और महिलाएं करियर और वित्तीय स्थिरता पर जोर देने लगे हैं। कई लोग अपने करियर में सफल होने के बाद ही विवाह का विचार करते हैं। दोहरी आय वाले परिवारों की बढ़ती संख्या विवाह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन कभी-कभी समय की कमी और जिम्मेदारियों का टकराव दांपत्य जीवन में तनाव भी पैदा कर देता है।

9. तकनीकी प्रगति और विवाह

तकनीकी विकास ने विवाह के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाए हैं। पहले जहां संबंधों की खोज पारिवारिक या सामाजिक साधनों से होती थी, वहीं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Shaadi.Com, Jeevansathi.Com और Bharat Matrimony ने इस प्रक्रिया को डिजिटल और वैश्विक बना दिया है।

सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने विवाह पूर्व और विवाह के बाद संवाद और संबंधों के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, टिंडर और बंबल जैसे डेटिंग ऐप्स ने जीवनसाथी चुनने की प्रक्रिया को और भी अधिक खुले और लचीले तरीके से स्थापित कर दिया है।

10. पारिवारिक संरचना में बदलाव

शहरीकरण और प्रवास के कारण संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है। पहले संयुक्त परिवार में विवाह के निर्णय पर सामूहिक प्रभाव होता था, लेकिन अब पति और पत्नी अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेते हैं। इससे पारिवारिक हस्तक्षेप कम हुआ है और दांपत्य जीवन की जिम्मेदारियाँ दंपति पर ही केंद्रित हो गई हैं।

महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पहले उन्हें केवल गृहिणी समझा जाता था, लेकिन अब वे कार्य, व्यवसाय और सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विवाह समारोहों में परंपरा और आधुनिकता का एक नया सम्मिलन देखने को मिलता है।

11. विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन

प्रेम विवाह अब असामान्य नहीं रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ये सामान्य हो चुके हैं। सहजीवन को कानूनी मान्यता मिलने के साथ समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तलाक, जिसे पहले एक सामाजिक कलंक माना जाता था, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाने लगा है। यह इस बात को दर्शाता है कि विवाह अब केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत चयन और अधिकार का भी विषय बन चुका है।

12. चुनौतियाँ और समस्याएँ

हालाँकि विवाह के नए रूप ने आधुनिकता को अपनाया है, लेकिन इसने कुछ समस्याएँ भी खड़ी की हैं। पारंपरिक मूल्यों के क्षय ने विवाह की स्थिरता पर सवाल उठाया है। करियर, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण विवाह जीवन में मानसिक तनाव और संघर्ष बढ़ने लगे हैं। पश्चिमी अनुकरण का अंधाधुंध प्रभाव कभीकभी भारतीय संस्कृति के संतुलन को भी प्रभावित करता है।

13. भविष्य की दिशा

आने वाले वर्षों में विवाह की संस्था और अधिक बदलती हुई नजर आएगी। यह संस्था बराबरी और सामंजस्य पर आधारित होगी। तकनीकी विकास विवाह की दिशा को प्रभावित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथी चुनने की प्रक्रिया में मानसिक और भावनात्मक मेल का विश्लेषण करेगा। मेटावर्स में वर्चुअल विवाह जैसे नए प्रयोग भी लोकप्रिय हो सकते हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक विवाहों की संख्या में वृद्धि होगी।

कानून भी विवाह के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अधिक लचीले और समावेशी होंगे। समलैंगिक विवाह, सहजीवन और अनुबंध के आधार पर विवाह को कानूनी मान्यता मिल सकती है।

14. विवाह संस्था के संभावित मॉडल

भविष्य में विवाह के नए मॉडल पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अधिक लचीले और व्यावहारिक रूप में विकसित हो सकते हैं। साझेदारी पर आधारित विवाह में पति और पत्नी दोनों समान रूप से वित्तीय, भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, जिससे रिश्ते अधिक संतुलित और समानता पर आधारित होंगे। अनुबंध आधारित विवाह का मॉडल उन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो विवाह को एक निर्धारित समय के समझौते के रूप में देखते हैं, जिसे वे आपसी सहमति से बढ़ा या समाप्त कर सकते हैं। वहीं, सहजीवन और विवाह का मेल युवा पीढ़ी को यह मौका देगा कि वे पहले सामंजस्य की जाँच करें और फिर विवाह का निर्णय लें।

15. विवाह संस्था की स्थिरता के लिए सुझाव

विवाह संस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए शिक्षा में भावनात्मक साक्षरता को शामिल करना जरूरी है। कानूनी जागरूकता से लोगों को विवाह से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श को बढ़ावा देना जरूरी है। सांस्कृतिक संतुलन भी आवश्यक है – आधुनिक मूल्यों को अपनाने के साथ-साथ पारंपरिक मूल्यों का भी संरक्षण होना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण विवाह की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है

निष्कर्ष

विवाह संस्था मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सामाजिक संरचनाओं में से एक रही है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे हैं – कभी यह केवल धार्मिक और पारंपरिक बंधन था, तो कभी यह सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक साझेदारी में बदल गया। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी युग में विवाह संस्था के सामने चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी। चुनौतियाँ: पारंपरिक मूल्यों का ह्रास, तलाक की बढ़ती दर, सहजीवन का बढ़ता चलन, विवाह में देरी, और आर्थिक व पेशेवर दबाव। अवसर: लैंगिक समानता, तकनीकी सहयोग, कानूनी सुधार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और बहुसांस्कृतिक स्वीकृति। भविष्य में विवाह की संस्था तब तक प्रासंगिक रहेगी जब तक वह बदलते समय के अनुसार अपने स्वरूप को लचीला बनाए रखेगी। यह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों और परिवारों का भी मिलन है।

संदर्भ सूची

6. भगत, आर. बी. (2020). भारतीय समाज में विवाह और परिवार. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
7. अग्रवाल, एस. (2019). आधुनिक भारत में विवाह संस्था का विकास. जयपुर: साहित्य भवन।
8. डॉ. शर्मा, वी. पी. (2021). सामाजिक परिवर्तन और विवाह. वाराणसी: ज्ञानपीठ।

9. मेहता, आर. (2020). "वैश्वीकरण का भारतीय विवाह पर प्रभाव", समाजशास्त्र समीक्षा, 15(3), 45-58।
10. भारतीय जनगणना रिपोर्ट (2011). भारत सरकार, गृह मंत्रालय।
11. The Hindu Marriage Act, 1955. भारत सरकार, विधि मंत्रालय।
12. पटेल, ए. (2022). महिला सशक्तिकरण और विवाह संस्था. अहमदाबाद: युगांतर प्रकाशन।
9. कुमार, एन. (2021). "तकनीकी युग में विवाह", भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 12(2), 89-102।
10. विश्व बैंक (2020). Gender Equality and Development in India. वॉशिंगटन डी.सी.: World Bank Publications।
11. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट (2022). भारत सरकार।
12. भारतीय दंड संहिता एस. एन. मिश्रा।
13. हिन्दू लॉ एस. आर. मैयनी।
14. सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी सी. एन. राव।